



Media clips of Re-KYC campaign of RBI (Aug 16- Aug 21, 2025)

1. Bhopal RO
 - a. State – Madhya Pradesh
 - b. District – Raisen
 - c. Block – Begumganj
 - d. Gram Panchayat – Mendhaki
 - e. Attended by – RD Bhopal, Ms. Rekha Chandanaveli on 18 August, 2025
- 2-4 images of camp



Image 1: RD, RBI Bhopal speaking at Re-KYC campaign in Mendhaki village, Raisen on 18 august, 2025



Image 2: RD, RBI Bhopal, ED (Central Bank of India) and other dignitaries at Re-KYC campaign in Mendhaki village, Raisen on 18 august, 2025



Image 3: ED (Central bank of India) speaking at Re-KYC campaign in Mendhaki village, Raisen on 18 august, 2025

- Print media/ digital media/ social media clips of the camps

वित्त मंत्रालय



3 माह का वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान अंतर्गत रायसेन जिले के ग्राम मेंढकी में विशेष शिविर आयोजित

Posted On: 18 AUG 2025 4:41PM by PIB Bhopal

दिनांक 18 अगस्त 2025 को ग्राम मेंढकी, साँची जिला रायसेन में वित्तीय समावेशन (FI) संतृप्ति अभियान के अंतर्गत एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री एम. वी. मुरली कृष्णा, भारतीय रिजर्व बैंक की क्षेत्रीय निदेशक श्रीमती रेखा चंदनावेली, एसएलबीसी संयोजक श्री धीरज गोयल, अंचल प्रमुख श्री प्रवीण काबरा (केनरा बैंक), अंचल प्रमुख श्री लोकेश कुमार (यूको बैंक) सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे।

भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार यह अभियान 1 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में संचालित किया जा रहा है।

शिविर के दौरान श्री एम. वी. मुरली कृष्णा एवं श्रीमती रेखा चंदनावेली ने ग्राहकों से संवाद कर उन्हें पुनः केवाईसी (Re-KYC) की प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं वित्तीय साक्षरता संबंधी विषयों पर जानकारी दी। उपस्थित ग्रामीणों को विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों पर जागरूक किया गया-



1. प्रधानमंत्री जनधन खाता (PMJDY) खोलना।
2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के अंतर्गत बीमा।

3. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत बीमा।
4. अटल पेंशन योजना (APY) में नामांकन।
5. 10 वर्ष अथवा उससे अधिक पुराने/निष्क्रिय खातों के लिए पुनः केवाईसी।
6. डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव एवं आरबीआई के अदावी जमा खातों से राशि दावा प्रक्रिया।



अभियान के उद्देश्य

ग्रामीण एवं निम्न-आय वर्ग तक वित्तीय समावेशन योजनाओं की पहुँच और जागरूकता बढ़ाना।

बैंकिंग एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना।

मध्य प्रदेश की सभी 23,043 ग्राम पंचायतों में बैंकों एवं बैंक मित्रों (BCs) द्वारा इस अभियान के अंतर्गत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर श्री धीरज गोयल ने ग्रामीण जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन योजनाओं का लाभ उठाएँ एवं अपने आसपास के पात्र व्यक्तियों को भी इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में सहयोग करें, जिससे प्रदेश के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँच सके।



Annex



(Release ID: 2157520)

Clip 1: 18.08.2025_PIB (Bhopal edition)

री-केवाईसी प्रक्रिया की दी जानकारी

अदनान खान | सलामतपुर

सोमवार को सांची जनपद के ग्राम मेंढकी में वित्तीय समावेशन एफआई संतुष्टि अभियान के तहत विशेष शिविर लगाया गया। इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक एम. वी. मुरली कृष्णा, भारतीय रिजर्व बैंक की क्षेत्रीय निदेशक रेखा चंदनावेली, एसएलबीसी संयोजक धीरज गोयल, केनरा बैंक के अंचल प्रमुख प्रवीण काबरा, यूको बैंक के अंचल प्रमुख लोकेश कुमार सहित कई बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। यह अभियान भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देश पर 30 सितम्बर 2025 तक देश की हर ग्राम पंचायत



सलामतपुर। अधिकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए।

में चलाया जा रहा है। शिविर में एम. वी. मुरली कृष्णा और रेखा चंदनावेली ने ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने री-केवाईसी प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और वित्तीय साक्षरता पर जानकारी दी। ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जनधन खाता, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा

योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना में नामांकन, 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों की केवाईसी, डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव और आरबीआई के अदावी जमा खातों से राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाई गई।



3 माह की वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान अंतर्गत ग्राम मेंढकी में कैम्प किया आयोजित

30 सितम्बर तक विभिन्न गांवों
में चलेगा अभियान

● अदनान खान | सलामतपुर

सोमवार को सांची जनपद के ग्राम मेंढकी में वित्तीय समावेशन एफआई संतृप्ति अभियान के अंतर्गत एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक एम. वी. मुरली कृष्णा, भारतीय रिजर्व बैंक की क्षेत्रीय निदेशक रेखा चंदनावेली, एसएलबीसी संयोजक धीरज गोयल, अंचल प्रमुख प्रवीण काबरा केनरा बैंक, अंचल प्रमुख लोकेश कुमार यूको बैंक सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे। भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त विभाग, भारत सरकार के निदेशानुसार यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में संचालित किया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं वित्तीय साक्षरता संबंधी जानकारी दी : शिविर के दौरान एम.वी. मुरली कृष्णा एवं रेखा चंदनावेली ने गाहकों से संवाद कर उन्हें री-केवाईसी की



प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं वित्तीय साक्षरता संबंधी विषयों पर जानकारी दी। प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा, अटल पेंशन योजना में नामांकन, 10 वर्ष अथवा उससे अधिक पुराने, निष्क्रिय खातों के लिए पुनः केवाईसी कराना, डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव एवं आरबीआई के अदावी जमा खातों से राशि

दावा प्रक्रिया बताई गई।

अभियान का उद्देश्य : ग्रामीण एवं निम्न आय वर्ग तक वित्तीय समावेशन योजनाओं की पहुंच और जागरूकता बढ़ाना। बैंकिंग एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना और मध्य प्रदेश की सभी 23043 ग्राम पंचायतों में बैंकों एवं बैंक मित्रों वीसीएस द्वारा इस अभियान के अंतर्गत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

Clip 3: 19.08.2025_Raisen edition

Clip 4: DD News video coverage of the Financial Inclusion saturation campaign in Raisen district on 18 August, 2025 - https://public.app/video/sp_vdf619gsc98cc?utm_me



2. Bhopal RO
 - a. State – Madhya Pradesh
 - b. District – Vidisha
 - c. Block – Basoda
 - d. Gram Panchayat – Khamkheda
 - e. Attended by – GM FIDD, RBI Bhopal, Shree Hemant Kumar Soni on 19 August, 2025
- 2-4 images of camp



Image 1: GM FIDD, RBI Bhopal speaking at Re-KYC campaign in Khamkheda village, Vidisha on 19 August, 2025



Image 2: GM FIDD, RBI Bhopal at Re-KYC campaign in Khamkheda village, Vidisha on 19 august, 2025



Image 3: GM FIDD, RBI Bhopal speaking at Re-KYC campaign in Khamkheda village, Vidisha on 19 august, 2025

- Print media/ digital media/ social media clips of the camps

खाता धारकों के खातों को सुरक्षित एवं प्रचलित रखने के लिये री-केवायसी बहुत जरूरी भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक हेमंत सोनी ने कहा



रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट विदिशा। मंगलवार को ग्राम पंचायत खामखेडा में भारतीय स्टेट बैंक एवं म.प्र. ग्रामीण बैंक द्वारा जन सुरक्षा कैम्प लगाया गया जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के महाप्रबंधक हेमंत सोनी जी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के एल.डी.ओ नवनीत तिवारी, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विनय कुमार, लीड बैंक प्रबंधक भगवान सिंह वघेल, जनपद सदस्य आनंद वघेल एवं ग्राम पंचायत सरपंच मनोज सोलंकी जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जनपद सदस्य आनंद वघेल द्वारा मुख्य अतिथियों को साफा पहनाकर उनका स्वागत एवं सम्मानित किया गया। कैम्प के दौरान आर.बी. आई. के महाप्रबंधक हेमंत सोनी ने कैम्प में उपस्थित ग्राहकों एवं आम जन को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार 10 साल बाद खाते को अपडेट किया जाता है अपडेट करने के लिए री-केवायसी बहुत आवश्यक है अगर हम केवायसी नहीं करवाएंगे तो हमारा खाता असुरक्षित हो जाएगा 10 मिनट की बहुत साधारण प्रक्रिया है, कियोस्क सेंटर पर पहुंचकर केवायसी करना होता है। खाते में के. वाय.सी नहीं होने पर शासन द्वारा मिलने वाली हितग्राही मूलक योजनाओं का पैसा खाते में आ तो जाएगा किंतु हितग्राही खाते से पैसा निकाल नहीं पायेगा इस लिये री-केवायसी करना अति महत्वपूर्ण है। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विनय कुमार ने बताया कि जन सुरक्षा कैम्प के द्वारा आपको बैंक आपके द्वारा पहुंचकर आपके गांव में ही खाताधारकों के खातों की री-केवायसी का कार्य किया जा रहा है, यह बहुत आवश्यक है। सभी खाता धारक से आग्रह है कि बैंक द्वारा 20 रुपये प्रति वर्ष के मान से प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना एवं 436 रुपये प्रति वर्ष के मान से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं अटल पेंशन योजना इन तीनों योजनाओं का लाभ अवश्य लें आरबीआई के नियमानुसार 10 वर्ष के बाद खाते का री-केवायसी अपडेट होना बहुत जरूरी है जिसके लिए री-के वाय सी करवाना आवश्यक है। इन कैम्पों का मुख्य उद्देश्य लोगों को सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना तथा खातों में री-के.वाय.सी. एवं अप्रचलित खातों के के. वाय.सी. को अपडेट कर उन्हें प्रचलित करने से संबंधित लाभ एवं महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराना है। अभी तक जिले में 577 ग्राम पंचायतों में से 332 में जन सुरक्षा शिविर का आयोजन किया जा चुका है एवं 30 सितम्बर 2025 तक शेष 245 ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन प्रति प्रति विकास खण्ड एक शिविर आयोजित हो रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति कैम्प में आने से रह गया है तो वह अपनी निकट की शाखा में या कियोस्क सेंटर पर जाकर री-के.वाय.सी करवा सकता है।



ग्राम पंचायत खामखेड़ा में जन सुरक्षा कैंप का आयोजन किया

खातों को सुरक्षित व चालू रखने की-केवायसी जरूरी

हरिभूमि न्यूज विदिशा

ग्राम पंचायत खामखेड़ा में भारतीय स्टेट बैंक एवं मद्रास ग्रामीण बैंक द्वारा जन सुरक्षा कैंप लगाया गया।

कैंप के दौरान आरबीआई के महाप्रबंधक हेमंत सोनी ने कैंप में मौजूद ग्रहकों एवं आमजन को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार 10 साल बाद खाते को अपडेट किया जाता है। अपडेट करने के लिए फिर से-केवायसी आवश्यक है अगर हम केवायसी नहीं करवाएंगे तो हमारा खाता असुरक्षित हो जाएगा। 10



केवायसी कराना महत्वपूर्ण है। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विनय कुमार ने बताया कि जन सुरक्षा कैंप के द्वारा आपकी बैंक आपके द्वारा पहुंचकर आपके गांव में ही खाताधारकों के खातों की री-केवायसी का कार्य किया जा रहा है। यह बहुत आवश्यक है। सभी खाता धारकों से आग्रह है कि बैंक द्वारा 20 रुपए प्रति वर्ष के मान से प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना एवं 436 रुपए प्रतिवर्ष के मान से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं अटल पेंशन योजना इन तीनों योजनाओं का लाभ अवश्य ले

मिलने वाली हितग्राही मूलक योजनाओं का पैसा खाते में आ तो जाएगा किंतु हितग्राही खाते से पैसा निकाल नहीं पाएगा। इसलिए री-

आरबीआई के नियमानुसार 10 वर्ष के बाद खाते का री-केवायसी अपडेट होना बहुत जरूरी है जिसके लिए री-केवायसी करवाना आवश्यक है। इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य लोगों को सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना तथा खातों में री-केवायसी एवं अप्रचलित खातों के केवायसी को अपडेट कर उन्हें प्रचलित करने से संबंधित लाभ एवं महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना है।

Clip 2: 20.08.2025_Haribhumi News(Vidisha edition)

जन सुरक्षा कैंप आयोजित कर दी सरकार की जीवन सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी

हरिभूमि न्यूज, विदिशा। कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देश पर विदिशा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में जन सुरक्षा कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों के माध्यम से ग्रामीण खाता धारकों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी के तहत आज गुरुवार को बारासोदा के ग्राम अहमदपुर, ग्यारसपुर के ग्राम इकोदिया, कुरवाई के ग्राम नेहरा, लटेरी के ग्राम बलरामपुर, नटेरन के ग्राम कोलुआ, घटवाई, सिरोंज के ग्राम भोजुखेडी और विदिशा के ग्राम बैरखेडी और अहमदपुर में जन सुरक्षा कैंप का आयोजन हुआ। सभी खाता धारकों से को बताया गया कि बैंक द्वारा 20 रुपए प्रति वर्ष के मान से प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना एवं 436 रुपए प्रति वर्ष के मान से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं अटल पेंशन योजना इन तीनों योजनाओं का लाभ अवश्य लें। आरबीआई के नियमानुसार 10 वर्ष के बाद खाते का री-केवायसी अपडेट होना बहुत जरूरी है जिसके लिए री-केवायसी करवाना आवश्यक है की जानकारी भी दी गई।

Clip 3: 20.08.2025_Haribhumi News(Vidisha edition)

प्रदेश की हलचल

खाता धारकों के खातों को सुरक्षित एवं प्रचलित रखने के लिये री-केवायसी

प्रदेश की हलचल, विदिशा । ग्राम पंचायत खामखेड़ा में भारतीय स्टेट बैंक एवं मप्र ग्रामीण बैंक द्वारा जन सुरक्षा कैंप लगाया गया जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के महाप्रबंधक हेमंत सोनी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ नवनीत तिवारी, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विनय कुमार, लीड बैंक प्रबंधक भगवान सिंह बघेल, जनपद सदस्य आनंद बघेल एवं ग्राम पंचायत सरपंच मनोज सोलंकी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जनपद सदस्य आनंद बघेल द्वारा मुख्य अतिथियों को साफा पहनाकर उनका स्वागत एवं सम्मानित किया गया। कैंप के दौरान आरबीआई के महाप्रबंधक हेमंत सोनी ने कैंप में उपस्थित ग्राहकों एवं आम जन को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार 10 साल बाद खाते को अपडेट किया जाता है अपडेट



करने के लिए री-केवायसी बहुत आवश्यक है अगर हम केवायसी नहीं करवाएंगे तो हमारा खाता असुरक्षित हो जाएगा 10 मिनट की बहुत साधारण प्रक्रिया है, कियोस्क सेंटर पर पहुंचकर केवायसी कराना होता है। खाते में केवायसी नहीं होने पर शासन द्वारा मिलने वाली हितग्राही मूलक योजनाओं का पैसा खाते में आ तो जाएगा किंतु हितग्राही खाते से पैसा निकाल नहीं पायेगा इस लिये री-केवायसी कराना अति महत्वपूर्ण है।